

भारत सरकार Government of India केन्द्रीय जल आयोग CENTRAL WATER COMMISSION प्रशिक्षण निदेशालय Training Directorate

संखयाः 09/01/2015/प्रशि. / 295 - 300

दिनांक: 19, Jan-2018

विषय :- NOC/ Permission to Shri Rahul Sharma, Jr. Engineer, M.G.Div-2, CWC, Lucknow for pursuing B.Tech degree course in correspondence from Karnataka State Open University.

Permission of the Chairman, Central Water Commission is hereby conveyed in respect of Shri Rahul Sharma, Jr. Engineer, M.G.Div-2, CWC, Lucknow for pursuing B.Tech degree course in correspondence from Karnataka State Open University on the following terms and conditions:

- a. The studies shall not intrude on official work and responsibilities in any way. In the event of being noticed that the officer has been neglecting his official duties for the sake of studies, the permission will be withdrawn at any moment.
- b. The permission should not be used as a plea against his transfer outside his place of posting as and when transfer occurs.
- c. He will intimate the date of examinations / visit to the institute and apply for required leave well in advance.
- d. All the expenditure related to the study will be borne by the official himself.
- e. On completion of above course / study, the outcome of the course may be conveyed to CWC (HQ).
- f. The permission is valid for a period of Three (03) years from the date of issue of the letter.

Hindi version overleaf

(रमेश कुमार) निदेशक (प्रशिक्षण)

Copy to:

- 1. Director, RMCD, CWC, New Delhi with reference to his UO No. 4/1/Trg/2017-RMCD/6646 Dated 30/11/2017.
- 2. Superintending Engineer, HOC, CWC, Dehradun.
- 3. Executive Engineer, MGDiv-2, CWC, Lucknow.
- 4. Section Officer, Estt-VI, CWC, New Delhi
- 5. Officer concerned.
- 6. J.E. (Trng), CWC, New Delhi to upload at cwc web site / intranet portal.



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION
प्रशिक्षण निदेशालय
Training Directorate

संख्याः 09/01/2015/प्रशि. U 🕏 🖰 - 🗸 🤈 3

दिनांक: 🕴 🛭 / जनवरी-2018

विषय : श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, मध्य गंगा मंडल-2, के.ज.आ., लखनऊ को कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय से पत्राचार से बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र / अनुमति।

श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, मध्य गंगा मंडल-2, के.ज.आ., लखनऊ को कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विनियम एवं शर्तों पर पत्राचार से बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए एतद् द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति संसूचित की जाती है:

- क. इस अध्ययन से सरकारी कार्य एवं जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। यदि यह पाया गया कि अधिकारी अध्ययन के कारण अपने सरकारी कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा है तो किसी भी क्षण यह अनुमति वापिस ले ली जाएगी।
- ख. इस अनुमित का प्रयोग तैनाती के स्थान से किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण, जब भी हो, के विरूद्ध के बहाने के रूप में नहीं किया जाएगा।
- ग. वे परीक्षा की तारीख / संस्थान जाने के संबंध में सूचना देंगे और इसके लिए वांछित छुट्टियों हेतु अग्रिम रूप से सूचित करेंगे।
- घ. अध्ययन का सारा खर्च अधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
- ड. उक्त पाठ्यक्रम / अध्ययन के पूरा होने पर इसके परिणाम के संबंध में के.ज.आ.(मुख्यालय) को सूचित किया जाए।
- च. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक वैध है।

(रमेश कुमार) निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रति:-

- 1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ., नई दिल्ली को उनके यू,ओ. सं. 4/1//प्रशि./2017-आरएमसीडी/6646 दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में।
- 2. अधीक्षण अभियंता, एचओसी, के.ज.आ., देहरादून।
- 3. अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मंडल-२, के.ज.आ., लखनऊ।
- 4. अनुभाग अधिकारी, स्थापना-6, के.ज.आ., नई दिल्ली।
- 5. संबंधित अधिकारी।
- 6. कनिष्ठ अभियंता (प्रशि.), नई दिल्ली को के.ज.आ. की वेबसाइट /इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।